LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Wednesday, 28 September, 2016/ 06 Asvina, 1938 (Saka)

No. 81

COMMENCEMENT OF THE FOURTH PART OF FOURTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fourth Part of Fourth Session of Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Friday, the 30 September, 2016 at 02.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

TIME OF SITTING:

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
   (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day.
   (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those Specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITORS' GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. Application for the gallery passes meant for sitting of the House on 30.09.2016 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 29.09.2016. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and to assure that any person in the visitor's gallery may not clap or hoot.

NOTE:- CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–2
विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
बुधवार, 28 सितम्बर, 2016,/6 आश्विन, 1938 (शक)

संख्या– 81

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के चतुर्थ सत्र के चतुर्थ भाग का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चतुर्थ भाग शुक्रवार दिनांक **30 सितम्बर, 2016 को अपराह्न 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054** में प्रारंभ होगा।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक अपराह्न 02.00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

नोटिसों की प्रकिया :

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम–258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैः–

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक दिन समय–समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के दौरान दी जायेगी।

2. सूचना कार्यालय में उप नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाए¡ अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में स्थित है।**

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/ शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ड.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक दीर्घा

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने हेतु आवेदन–पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। 30/09/2016 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 29/09/2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। अनुवर्ती बैठकों के लिए भी दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र इसी प्रकार संसाधित एवं जारी किए जाएंगें।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिये सामन्यतः दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश–पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे दर्शक दीर्घा पासों के लिए उन्हीं आगन्तुकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली–भांति जानते हैं और यह सुनिश्चित करें कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति न तो तालियाँ बजाए और न ही शोर मचाए।

टिप्पणीः कृपया मोबाइल फोन, अन्य संचार उपकरण एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव